संख्या:56/2020/1350 ई-2/तेरह-2020-47/2003

प्रेषक,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 जून, 2020

विषय: अल्कोहल वर्ष 2019-20 में मेसर्स डी.एस.एम. सुगर असमौली (डिस्टिलरी डिवीजन) ग्राम असमौली, जनपद-सम्भल से देश के बाहर 50,00,000 (पचास लाख) बल्क लीटर ई.एन.ए. निर्यात किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-107/नौ-अल्कोहल/असमौली/20-21/देश के बाहर/निर्यात, दिनांक 15.05.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अल्कोहल वर्ष 2019-20 में मेसर्स डी.एस.एम. सुगर असमौली (डिस्टिलरी डिवीजन) ग्राम असमौली, जनपद-सम्भल से देश के बाहर 50,00,000 (पचास लाख) बल्क लीटर ई.एन.ए. निर्यात किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति के दृष्टिगत अल्कोहल वर्ष 2019-20 में मेसर्स डी.एस.एम. सुगर असमौली (डिस्टिलरी डिवीजन) ग्राम असमौली, जनपद-सम्भल से देश के बाहर 50,00,000 (पचास लाख) बल्क लीटर ई.एन.ए. निर्यात किये जाने की अनुमति इकाई की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरे की कमी होने पर आसवक द्वारा शीरे का आयात देश व प्रदेश के बाहर से करके देश के बाहर अल्कोहल निर्यात कर सकता हैं, तथा प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर अल्कोहल (रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल/ई.एन.ए.) के निर्यात पर आबकारी विभाग, उ.प्र. द्वारा रोक लगाये जाने पर इकाई को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in